जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
प्रथम तल, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष : +91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.brlp.in

**पत्रांकः-** **BRLPS**/Admn./35 A/11/ 953 **दिनांकः-** 12/6/2014

# कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या BRLPS/Admn./35A/11/4652 दिनांक 16.12.2013 के आलोक में जिला परियोजना समन्वय इकाइयों एवं प्रखण्ड परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों में कार्यरत ऑफिस ब्वॉय –सह-रात्रि प्रहरी के मानदेय का भुगतान राज्य सरकार द्वारा अद्यतन पुनरीक्षित दर पर ही किया जाना है।

राजस्व पर्षद, बिहार सरकार द्वारा निर्गत अद्यतन पत्र (सं0सं0-3/7-4/96-1432 दिनांक 15.10.2013) के आलोक में ऑफिस ब्वॉय –सह-रात्रि प्रहरी को दैनिक पारिश्रमिक का भुगतान वर्णित निर्देशों के अनुरूप अगले आदेश तक 168.00 रूपये प्रतिदिन की दर से किया जायेगा। पत्र की छायाप्रति संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा मानदेय में किया गया परिवर्तन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना की उपर्युक्त इकाइयों में भी अनुमान्य होगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आदेशानुसार,

अनुलग्नक : यथोक्त।

12·6·14

**(राजेश परिमल)**
प्रशासी पदाधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. CEO/Addl. CEO/ Director/OSD/CFO.
2. PCs/SFMs/FO/PS/PO/SPMs/PMs.
3. DPMs/FMs/Manager-HR & Admn.
4. IT Section.

# राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं०सं०- 3/7-4/96- 1732

प्रेषक,

सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक: 15-10-2013

विषयः राज्य सरकार के अधीन विभिन्न कोटियों के दैनिक पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि पर्षद ने सम्यक विचारोपरान्त पत्रांक- 767 दिनांक 24.06.2013 द्वारा निर्धारित दैनिक पारिश्रमिक की दरों को निम्न प्रकार पुनरीक्षित किया है -

| क्रमांक | श्रेणी | पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक | पुनरीक्षित पारिश्रमिक |
|---|---|---|---|
| 1 | चालक/ लिपिक/ टंकक/ टंकक लिपिक | 200.00 | 214.00 |
| 2 | अनुसेवक | 157.00 | 168.00 |

2. ये दरें इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

3. जहाँ भी विशेष परिस्थिति में अपवाद स्वरुप किसी व्यक्ति से एक माह या अधिक अवधि के लिए कार्य लिया गया हो वहाँ दैनिक मजदूरी के दरों का मासिक मजदूरी की दरों में रुपान्तरण दैनिक दर को 26 (छब्बीस) से गुणा करके किया जायेगा और तदनुसार ही भुगतान किया जायेगा।

4. उपर्युक्त दरों की स्वीकृति के प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

9.10.13

विश्वासभाजन

10/10

सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

15-10-13

D:\Miscleneous 2013\Daily Wages Increase.doc